संख्या-26/2020/518/क0नि0प्र0/26-3-2020-19(20)/2019

प्रेषक,

डा. रमेश चन्द्र तिवारी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ।

कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, **लखनऊः दिनांक: 27 जुलाई,2020**

समाज कल्याण विभाग

विषयः- वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-83 से अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में आधारभूत सुविधाओं का विकास योजना हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-31/2019/568/क.नि.प्र./26-3-2019-19(20)/2019 दिनांक 13-06-2019 एवं अपने पत्रांक-1654/ स0क0/विकास/ महाराजगंज/(78)/2019-20 दिनांक 05 दिसम्बर,2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा जनपद महाराजगंज के विकास खण्ड नौतनवां ग्राम तरैनी में पिच रोड़, पुलिया इण्टर लाकिंग नाली एवं सोलर लाइट के निर्माण कार्यो हेतु कुल स्वीकृत लागत रू0 465.47 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 444.47 लाख अवमुक्त किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-83 से अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में आधारभूत सुविधाओं का विकास योजनान्तर्गत जनपद महाराजगंज के विकास खण्ड-नौतनवा के ग्राम तरैनी में पिच रोड़, पुलिया इण्टर लाकिंग नाली एवं सोलर लाइट के निर्माण कार्यो हेतु कुल लागत रू0 465.47 लाख के सापेक्ष द्वितीय किश्त के रूप में रू0 20.00 लाख (रू0 बीस लाख मात्र) की धनराशि स्वीकृत कर व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. उक्त स्वीकृति के सापेक्ष पूर्ण कराये जाने वाले अवशेष कार्यो हेतु स्वीकृत आंगणन में इंगित/अनुमोदित दरों के आधार पर कार्यदायी संस्था उ.प्र.राज्य

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ (यू.पी.सी.एल.डी.एफ.) से कार्य कराया जायेगा।

2. उक्त कार्य मद में अधिष्ठान व्यय लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित दर (6.875) के अनुसार ही लिया जायेगा। कार्यदायी संस्था को धनराशि प्राप्त होने के तुरन्त बाद शीघ्र अवशेष कार्यो को पूरा किया जायेगा। प्रयोजना के निर्माण के बिना समुचित कारण के यदि अनावश्यक रूप से विलम्ब होने से लागत में वृद्धि होती है तो इसके लिए निर्माण इकाई उत्तरदायी होगी।
3. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपभोग भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक एवं दिशा निर्देशों तथा योजना संचालन संबंधी समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में निहित व्यवस्था एवं निर्माण संबंधी भारत सरकार की समस्त गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
4. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/ उपयोग उन्हीं कार्यो/मदों पर किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर व्यय/उपयोग वित्तीय अनियमितता होगी तथा इसके लिए संबंधित जिले के जिलाधिकारी/संबंधित अधिकारी उत्तदायी होगें।
5. प्रश्नगत स्वीकृत परियोजनाओं की विस्तृत ड्रांइग/डिजाइन एवं तकनीकी स्वीकृति के संबंध में सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य कराया जायेगा।
6. संबंधित जिलाधिकारी/संबंधित अधिकारी द्वारा उक्त कार्य के संबंध में यह पुष्टि की जायेगी कि यह कार्य पूर्व में अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ही पूर्व में किया गया है तथा
   वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित नहीं है।
7. स्वीकृत की जा रही परियोजना की लागत में सम्मिलित 01 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि को नियमानुसार श्रम विभाग में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
8. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत संगत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा तथा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

9. स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय की सूचना नियमानुसार महालेखाकार, उ.प्र. प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध करायी जायेगी। शासन को भेजे जाने वाले उपयोगिता प्रमाण-पत्र में कार्य के प्रगित/पूर्ण होने के फोटोग्राफ्स, योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्यो के सदुपयोग प्रमाण पत्र इत्यादि देना सुनिश्चित किया जायेगा।

3- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-083-समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अधीन लेखाशीर्षक-4225-अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0106-अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में आधारभूत सुविधाओं का विकास (के.100/रा.0-के.)-24-वृहत निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

4- प्रश्नगत धनराशि के निर्गत किये जाने के संदर्भ में वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2020-बी-1-149-दस/2020-231/2020 दिनांक 24 मार्च, 2020, शासनादेश संख्या-5/2020/बी-1-196/दस-2020-231/2020 दिनांक11-04-2020 एवं शासनादेश संख्या-6/2020/बी-1-218/दस-2020-231/2020 दिनांक 18-05-2020 में निर्धारित दिशा निर्देशों तथा वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-4-509/दस/ 2020 दिनांक 24 जुलाई, 2020 में प्राप्त सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

डा0 रमेश चन्द्र तिवारी
अनु सचिव।

<u>पृ.संख्या-26/2020/ 518 /(1)/क.नि.प्र./26-3-2020 तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- जिलाधिकारी,महाराजगंज।
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/ कोषाधिकारी महाराजगंज।
4- वित्त नियंत्रक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास), महाराजगंज।

6- प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र.राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ (यू.पी.सी.एल.डी.एफ.), लखनऊ।

7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4/बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग।

8- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

डा0 रमेश चन्द्र तिवारी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।